By E-Mail/Courier

पत्रांक–7MDMC4-01/07 ..../

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक:

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषय: मध्याह्न भोजन योजना हेतु जिला तथा प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के स्वरूप एवं कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा मध्याह्न भोजन योजना हेतु जिला तथा प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन, स्वरूप एवं कार्य के संबंध में मार्ग दर्शन की माँग की गई है।

इस संबंध में मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा निर्देश–2006 के की कंडिका–3.2 (एनेक्सचर–08) को आधार मानते हुए मध्याह्न भोजन योजना हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का स्वरूप निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

1. (i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) नगर आयुक्त – सदस्य

(iii) उप विकास आयुक्त – सदस्य

(iv) जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य

(v) जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना – सदस्य

(vi) सिविल सर्जन – सदस्य

(vii) जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य

(viii) जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम – सदस्य

(ix) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम – सदस्य

(x) संबंधित बैंक के प्रबंधक – सदस्य

(xi) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य

(क) एक पोषाहार/शिशु विशेषज्ञ

(ख) पोषाहार/बाल कल्याण/सामुदायिक सेवा/नारी सशक्तिकरण/विद्यालय शिक्षा/बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले चार सदस्य जिसमें कम से कम दो महिला सदस्य होना चाहिए।

(ग) जिला परिषद्/पंचायत समिति/नगर निकाय से एक–एक (कुल तीन) प्रतिनिधि।

(घ) शिक्षकों का एक प्रतिनिधि।

नोटः अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्षों की होगी। मनोनीत सदस्य की कार्य अवधि समाप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा नये सदस्यों को मनोनित किया जायेगा।

2. जिला के वैसे सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय/मदरसा/मकतब संस्कृत विद्यालय/बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्र तथा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में वर्ग 1 से वर्ग 8 में उपस्थित सभी छात्र/छात्राओं को सभी विद्यालय कार्य दिवसों में निर्वाध रूप से निर्धारित मीनू के अनुसार गरमा–गरम तैयार मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 1-8/2010-Desk(MDM) Dated 30.08.2010 को आधार मानते हुए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के कार्य निम्नवत् निधारित किये जाते हैं :–

(i) मध्याह्न भोजन योजना का संचालन करने वाले विभिन्न एजेंसियों का मार्ग दर्शन करना।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन तथा समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा करना।

(iii) स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का किये गये मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना।

(iv) मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों, जैसे– शिक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के बीच समन्वय एवं सम्प्रेषण स्थापित करने हेतु आवश्यक निदेश एवं सुझाव देना।

(v) जिला के सभी विद्यालयों में जहाँ–मध्याह्न भोजन योजना का संचालन होना है–खाद्यान्न तथा परिवर्तन मूल्य की राशि की उपलब्धता की समीक्षा करना।

(vi) जिला में कार्यरत सभी रसोईया–सह–सहायक के मानदेय के भुगतान की समीक्षा करना तथा लंबित भुगतान रहने पर आवश्यक कार्रवाई करना।

(vii) मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन हेतु सामुदायिक सहयोग एवं सरकारी–निजी साझेदारी (Public-Private Parternership) को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक निदेश एवं सुझाव देना।

(viii) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव तथा उठाव के विरूद्ध खाद्यान्न की राशि के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना।

(xi) जिला के विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बाधित होने के स्थानीय तथा अन्य कारणों की समीक्षा करते हुए उन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

(x) जिला के सभी प्रखंडों के अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करना तथा उसके आलोक में आवश्यक निदेश देना।

(xi) मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों एवं परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करना।

नोटः जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा।

3. इसके अलावे मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के संबंध मे निदेशालय के पत्रांक 6090 दिनांक 2.12.11 के द्वारा पूर्व में आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। सुलभ प्रसंग हेतु प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के स्वरूप में अल्प संशोधन करते हुए निम्नवत दोहराया (Reiterate) जाता हैः–

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य

(iii) प्रखंड साधन सेवी – सदस्य सचिव

(iv) प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – सदस्य

(v) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी – सदस्य

(vi) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी – सदस्य

(vii) राज्य खाद्य निगम के प्रतिनिधि – सदस्य

viii) संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक – सदस्य

(ix) अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत अन्य सदस्यः

1. पोषण क्षेत्र के एक विशेषज्ञ
2. बाल कल्याण/महिला सामुदायिक सशक्तिकरण/विद्यालय शिक्षा समिति/बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र के चार सदस्य जिसमें से कम से कम दो महिला सदस्य
3. 3–5 ग्राम पंचायत/नगरपालिका के प्रतिनिधि
4. शिक्षक प्रतिनिध

नोटः अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की कार्य अवधि दो वर्षों की होगी। मनोनीत सदस्यों की कार्यवधि समाप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा नये सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा।

4. प्रखंड के वैसे सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय/मदरसा/मकतब संस्कृत विद्यालय/बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा मान्यता प्राप्त वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्र/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 में उपस्थित सभी बच्चों को सभी विद्यालय कार्य दिवस में निर्वाध रूप से निर्धारित मीनू के अनुसार गरमा–गरम तैयार मध्याह्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 1-8/2010-Desk(MDM) Dated 30.08.2010 को आधार मानते हुए प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के कार्य निम्नवत् निधारित किये जाते हैं :–

(i) मध्याह्न भोजन योजना का संचालन करने वाले विभिन्न एजेंसियों का मार्ग दर्शन करना।

(ii) मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन तथा समीक्षा कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा करना।

(iii) स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के किये गये अनुश्रवण/मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना।

(iv) मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों, जैसे– शिक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगम के बीच समन्वय एवं सम्प्रेषण स्थापित करने हेतु निदेश एवं सुझाव देना।

(v) विद्यालयों में खाद्यान्न तथा परिवर्तन मूल्य की राशि की उपलब्धता की समीक्षा करना।

(vi) विद्यालय में कार्यरत सभी रसोईया–सह–सहायक के मानदेय के भुगतान की समीक्षा करना तथा लंबित भुगतान रहने पर आवश्यक कार्रवाई करना।

(vii) मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन हेतु सामुदायिक सहयोग एवं सरकारी–निजी साझेदारी (Public-Private Parternership) को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक निदेश एवं सुझाव देना।

(viii) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव तथा उठाव के विरूद्ध खाद्यान्न की राशि के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना।

(ix) राज्य खाद्य निगम तथा प्रखंड संवेदकों को परिवहन–सह–हथालन की राशि के लंबित भुगतान की समीक्षा करना तथा आवश्यक निदेश देना।

(x) प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बाधित होने के स्थानीय तथा अन्य कारणों की समीक्षा करते हुए उन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

(xi) प्रखंड के सभी विद्यालयों के तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में अपेक्षित भूमिका की समीक्षा एवं मूल्यांकन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना।

(xii) मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्राप्त सभी शिकायतों एवं परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करना।

नोटः प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में किया जाना अनिवार्य है।

उक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश उक्त हद तक संशोधित समझें जाए शेष यथावत रहेगें।

विश्वासभाजन

ह०/–
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1843 / पटना, दिनांक 6/12/12/

प्रतिलिपि :– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।